रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1777] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2015/श्रावण 30, 1937
No. 1777] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2015/SHRAVANA 30, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2015

का.आ.2279(अ).—केंद्रीय सरकार ने इंडोनेशियाई गणतंत्र सरकार के साथ इंडोनेशियाई गणतंत्र में किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों के संबंध में, समन या वारंट की तामील या उसके निष्पादन के लिए ठहराव किया गया है;

अत: केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105 की उप-धारा (1) के खंड **(ii)** के अनुसरण में यह विनिर्दिष्ट करती है कि –

(क) किसी अभियुक्त व्यक्ति को समन, या

(ख) किसी व्यक्ति से उसके हाजिर होने और कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने या उन्हें पेश करने की अपेक्षा करने वाला समन, या

(ग) तलाशी वारंट

भारत में किसी न्यायालय द्वारा दो में प्रतियों इंडोनेशियाई गणतंत्र में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार रखने वाले उस देश के न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट इंडोनेशियाई गणतंत्र सरकार के केंद्रीय प्राधिकारी अर्थात् इंडोनेशियाई गणतंत्र सरकार के विधि और मानवाधिकार मंत्रालय के माध्यम से उसमें नामित व्यक्ति पर ऐसे समन की तामील या ऐसे वारंट के निष्पादन करने के लिए जारी किया जा सकेगा ।

2. समन या वारंट जारी करते समय भारत के संबद्ध न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट गृह मंत्रालय के पत्र सं. 25016/17/2002-विधिक सेल द्वारा जारी व्यापक मार्गदर्शन सिद्धांतों का अनुपालन करेगा।

3. केंद्रीय सरकार यह और निदेश देती है कि ऐसा समन या वारंट केंद्रीय प्राधिकारी अर्थात् इंडोनेशियाई गणतंत्र सरकार के विधि और मानवाधिकार मंत्रालय को पारेषित किए के लिए गृह मंत्रालय, आईएस-।। खंड भारत सरकार, नई दिल्ली, को भेजा जाएगा ।

[फा.सं. 12015/1/2015-पीपी-।।।/आईसी।।।]

गोपाल कृष्ण द्विवेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2015

S.O. 2279(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of the Republic of Indonesia for service or execution of summons or warrant in relation to criminal matters, on any person in the Republic of Indonesia.

Now, therefore, in pursuance of clause (ii) of sub-section (1) of Section 105 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies that –

(a) a summons to an accused person, or

(b) a summons to any person requiring him to attend and produce documents or other thing, or to produce it, or

(c) a search-warrant

may be issued by a Court in India in duplicate, to the Court, Judge or Magistrate in the Republic of Indonesia, having authority under the law for the time being in force in that country, through the Central Authority, that is, the Ministry of Law and Human Rights of the Government of the Republic of Indonesia to serve such summons or execute such warrant on the person named therein.

2. The concerned court, Jude or Magistrate of India while issuing Summons or warrants shall comply with the comprehensive guidelines issued vide Ministry of Home Affairs Letter No.25016/17/2002-Legal Cell dated 11th Feb, 2009.

3. The Central Government further directs that such summons or warrant shall be sent to the IS-II Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, for transmission to the Central Authority, that is, the Ministry of Law and Human Rights of the Government of the Republic of Indonesia.

[F.No.12015/1/2015-PP-III/IC-III]

GOPAL KRISHNA DWIVEDI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2015

का.आ. 2280 (अ).- केंद्रीय सरकार ने इंडोनेशियाई गणतंत्र सरकार के साथ इंडोनेशियाई गणतंत्र में किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों के संबंध में, समन या वारंट की तामील या उनके निष्पादन के लिए ठहराव किया है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105 की उप-धारा (2) के परंतुक के अनुसरण में यह और विनिर्दिष्ट करती है कि ऐसी दशा में जहां भारत के किसी न्यायालय द्वारा इंडोनेशियाई गणतंत्र में उस देश में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट से प्राप्त किसी समन या तलाशी वारंट जारी करने वाले न्यायालय को गृह मंत्रालय, आई एस-।। खंड, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से अग्रेषित किए जाएंगे ।

[फा.सं. 12015/1/2015-पीपी-।।।/आईसी।।।]

गोपाल कृष्ण द्विवेदी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2015

S.O. 2280(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of the Republic of Indonesia for services or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in the Republic of Indonesia;

Now, therefore, in pursuance of the proviso to sub-section (2) of Section 105 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies that in case where a Court in India executes any summons or search warrant received from a court, Judge or Magistrate in the Republic of Indonesia, having authority under the law for the time being in force in that country, the documents or things produced or things found in search shall be forwarded to the court issuing such summons or search warrant through the IS-II Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.

[F.No.12015/1/2015-PP-III/IC-III]

GOPAL KRISHNA DWIVEDI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2015

का.आ. 2281(अ).- केंद्रीय सरकार ने इंडोनिशियाई गणतंत्र सरकार के साथ इंडोनिशियाई गणतंत्र में किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों के संबंध में, समन या वारंट की तामील या उसके निष्पादन के लिए ठहराव किया है;

अत:, केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ख की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह विनिर्दिष्ट है कि किसी आपराधिक मामले में अन्वेषण या जांच के दौरान किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए इंडोनेशियाई गणतंत्र में किसी स्थान पर तामील या निष्पादित किए जाने वाले समन इससे उपाबद्ध प्ररूप में जारी किए जाएंगे और ऐसे समन इंडोनिशियाई गणतंत्र सरकार के केंद्रीय प्राधिकारी अर्थात् इंडोनेशियाई गणतंत्र सरकार के विधि और मानवाधिकार मंत्रालय को पारेषित किए जाने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय, आई एस-।। खंड, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे ।

प्ररुप

साक्षियों का समन

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 105ख की उपधारा (2) देखिए)

सेवा में,

इंडोनेशियाई गणतंत्र सरकार के विधि और मानवाधिकार मंत्रालय के न्यायालय या न्यायाधीश / मजिस्ट्रेट.....इंडोनिशियाई गणतंत्र सरकार के केंद्रीय प्राधिकारी अर्थात् इंडोनेशियाई गणतंत्र सरकार के विधि और मानवाधिकार मंत्रालय के माध्यम से)

मेरे समक्ष यह परिवाद किया गया है कि..... (अभियुक्त का नाम) (पता) ..... ने ..... (समय और स्थान सहित अपराध का संक्षेप में उल्लेख कीजिए) का अपराध किया है (या संदेह है कि) उसने अपराध किया है, और मुझे यह प्रतीत होता है कि यह संभावना है कि आप अभियोजन के लिए तात्विक साक्ष्य दे सकते हैं या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश कर सकते हैं;

इसके द्वारा आपको समन किया जाता है कि ऐसा दस्तावेज या चीज पेश करने या उक्त आवेदन के विषय से संबधित आप जो कुछ जानते हैं, उसका साक्ष्य देने के लिए न्यायालय के समक्ष.....तारीख को.....पूर्वाह्न/अपराह्न में हाजिर हों और उसके पश्चात् न्यायालय के आदेश के बिना न जाएं और आपको इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि यदि आप उक्त तारीख को न्यायसंगत हेतुक के बिना हाजिर होने में उपेक्षा करेंगे या उससे इंकार करेंगे तो आपको हाजिर कराने के लिए वारंट जारी किया जाएगा ।

तारीख.....20..... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा के अधीन प्रदत्त किया गया ।

न्यायालय की मुद्रा

न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

[फा.सं. 12015/1/2015-पीपी-III/आईसी III]

गोपाल कृष्ण द्विवेदी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2015

S.O. 2281(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of the Republic of Indonesia, for services or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in the Republic of Indonesia;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies that a summons for attendance of a person in the course of an investigation or inquiry in any criminal case, to be served or executed in any place in the Republic of Indonesia, shall be issued in the form annexed hereto, and such summons shall be sent to the IS-II Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, for transmission to the Central Authority, that is, the Ministry of Law and Human Rights of the Government of the Republic of Indonesia.

FORM

SUMMONS TO WITNESS

[See sub-section (2) of section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973]

To

The Court or Judge/Magistrate in the Republic of Indonesia. ----------

(Through the Central Authority, that is, the Ministry of Law and Human Rights of the Government of Republic of Indonesia)

Whereas an application has been made before me that (Name of the accused) of (address) has (or is suspected to have) committed the offence of (state the offence concisely with time and place) and it appears to me that you are likely to give material evidence or to produce any document or other thing for the prosecution;

You are hereby summoned to appear before the Court on the ----------day of----------at ----------A.M./P.M. to produce such document or thing or to testify what you know concerning the matter of the said application, and not to depart then without the order of the Court, and you are hereby warned that, if you shall without just cause neglect or refuse to appear on the said date, a warrant will be issued to compel your attendance.

Given under my hand and the seal of the Court this ----------day of ----------20 …..

Seal of the Court.

Signature of the

Judge/Magistrate

[F.No.12015/1/2015-PP-III/IC-III]

GOPAL KRISHNA DWIVEDI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2015

का.आ. 2282 (अ).- केंद्रीय सरकार ने इंडोनिशियाई गणतंत्र की सरकार के साथ भारत के न्यायालयों में आपराधिक मामलों के संबंध में इंडोनिशियाई गणतंत्र में निवास कर रहे साक्षियों का साक्ष्य लेने के लिए ठहराव किया है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 285 की उपधारा (3) के अनुसरण में यह विनिर्दिष्ट करती है कि -

(क) इंडोनिशियाई गणतंत्र में साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन भारत के न्यायालयों द्वारा इससे उपाबद्ध प्ररुप में, इंडोनिशियाई गणतंत्र के किसी सक्षम दंड न्यायालय को जिसे इंडोनिशियाई गणतंत्र में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार प्राप्त है, जारी किया जाएगा; और

(ख) ऐसा कमीशन इंडोनिशियाई गणतंत्र सरकार में केंद्रीय प्राधिकारी अर्थात् इंडोनेशियाई गणतंत्र सरकार के विधि और मानवाधिकार मंत्रालय को पारेषित किए जाने के लिए गृह मंत्रालय, आई एस-।। खंड, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा जाएगा ।

प्ररुप

भारत से बाहर साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन

[दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 285 की उपधारा (3) देखिए]

न्यायालय.....

.....

प्रेषिती

.....

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से)

मुझे यह प्रतीत होता है कि मामला संख्या .....बनाम. ..... न्यायालय..... में..... .का न्याय के उद्देश्य से साक्ष्य आवश्यक है और ऐसा साक्षी आपकी स्थानीय अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास कर रहा है/रही है, और उसकी उपस्थिति की अयुक्तियुक्त विलंब, व्यय या असुविधा के बिना उपाप्त नहीं किया जा सकता है, मैं इसके द्वारा यह अनुरोध करता हूं कि आप उपरोक्त कारणों से और उक्त न्यायालय की सहायता के लिए उक्त साक्षी का ऐसे समय और स्थान पर जो आप नियत करें, हाजिर होने के लिए समन करें और ऐसे साक्षियों की परीक्षा उन परिप्रश्न (मौखिक परीक्षा के लिए) के आधार पर करवाएं जो इस कमीशन के साथ भेजे जा रहे हैं;

कार्यवाही का कोई पक्षकार आपके समक्ष अपने काउंसेल या अभिकर्ता द्वारा या यदि अभिरक्षा में नहीं है तो स्वयं हाजिर हो सकेगा और उक्त साक्षी की (यथास्थिति) परीक्षा, प्रतिपरीक्षा या पुन:परीक्षा कर सकेगा;

और, मैं, आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप उक्त साक्षी के उत्तर लेखबद्ध करवाएं और उन सभी बहियों, पत्रों, कागजों को जो ऐसी परीक्षा के दौरान पेश किए जाएं, पहचान के लिए सम्यक् रूप से चिन्हित कराएं और आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि आप ऐसी परीक्षा को अपनी सरकारी मुद्रा और अपने हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित करें और उसे इस कमीशन के साथ अधोहस्ताक्षरी को गृह मंत्रालय, आई एस- II खंड, भारत सरकार, नई दिल्ली के के माध्यम से भेजें।

तारीख.....20..... को यह मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन प्रदत्त किया गया।

न्यायालय की मुद्रा

न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

[फा.सं. 12015/1/2015-पीपी- III/आईसी III]

गोपाल कृष्ण द्विवेदी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2015

S.O. 2282(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of Republic of Indonesia for taking the evidence of witnesses residing in the Republic of Indonesia in relation to criminal matters in Courts in India.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 285 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies that -

(a) commission for examination of witnesses in Republic of Indonesia shall be issued by the Courts in India in the form annexed hereto, to any competent criminal court of the Republic of Indonesia having authority under the law for the time being in force in the Republic of Indonesia; and

(b) such Commission shall be sent to IS-II Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi for transmission to the Central Authority, that is, the Ministry of Law and Human Rights of the Government of Republic of Indonesia.

FORM

COMMISSION TO EXAMINE WITNESS OUTSIDE INDIA

[See sub-section (3) of section 285 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)]

IN THE COURT OF----------

To

(Through the Government of India, Ministry of Home Affairs,

New Delhi.)

Whereas it appears to me that the evidence of ---------- is necessary for the ends of justice in case No. ----------, Vs.----------in the Court of ---------- and that such witness is residing within the local limits of your jurisdiction and his attendance cannot be procured without unreasonable delay, expense or inconvenience, I, ---------- have the honour to request and do hereby request that for the reasons aforesaid and for the assistance of the said Court, you will be pleased to summon the said witness to attend at such time and place as you shall appoint and that you will cause such witness to be examined upon the interrogatories which accompany this Commission (for viva voce);

Any party to the proceeding may appear before you by his/her Counsel or agent or, if not in custody, in person, and may examine, cross-examine or re-examine (as the case may be) the said witness;

And, I, further have the honour to request that you will be pleased to cause the answers of the said witness to be reduced into writing and all books, letters, papers and documents produced upon such examination to be duly marked for identification and that you will be further pleased to authenticate such examination by your official seal and signature and to return the same together with this Commission to the undersigned through IS II Division of the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi.

Given under my hand and the seal of the Court this---------- day of----------20…..

Seal of the Court.

Signature of the
Judge/Magistrate

[F.No.12015/1/2015-PP-III/IC-III]

GOPAL KRISHNA DWIVEDI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2015

का.आ. 2283(अ).—केंद्रीय सरकार ने इंडोनिशियाई गणतंत्र सरकार के साथ इंडोनिशियाई गणतंत्र में किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों के संबंध में, समन या वारंट की तामील या उनके निष्पादन के लिए ठहराव किया गया है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 290 की उपधारा (2) के खंड **(ख)** के अनुसरण में इंडोनिशियाई गणतंत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले ऐसे सभी न्यायालयों, न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेटों को जिन्हें इंडोनिशियाई गणतंत्र में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार प्राप्त है, ऐसे न्यायालयों के रुप में विनिर्दिष्ट करती है, जिनके द्वारा भारत में निवास कर रहे साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी किया जा सकेगा ।

[फा.सं. 12015/1/2015-पीपी- III/आईसी III]

गोपाल कृष्ण द्विवेदी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2015

S.O. 2283(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of the Republic of Indonesia for service or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in the Republic of Indonesia.

Now, therefore, in pursuance of clause (b) of sub-section (2) of section 290 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies all Courts, Judges or Magistrates exercising jurisdiction in the Republic of Indonesia having authority under the law in force in the Republic of Indonesia as the Courts by which the Commission for the examination of witnesses residing in India may be issued.

[F.No.12015/1/2015-PP-III/IC-III]

GOPAL KRISHNA DWIVEDI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2015

का.आ. 2284(अ).—केंद्रीय सरकार ने इंडोनिशियाई गणतंत्र के साथ इंडोनेशियाई गणतंत्र सरकार में किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों के संबंध में,समन या वारंट की तामील या उनके निष्पादन के लिए ठहराव किया है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त संहिता के अध्याय 7क के उपबंध इंडोनिशियाई गणतंत्र के संबंध में बिना किसी शर्त, अपवाद या प्रतिबंध के इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

[फा.सं. 12015/1/2015-पीपी- III/आईसी III]

गोपाल कृष्ण द्विवेदी,संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2015

S.O. 2284(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of the Republic of Indonesia for service or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in Republic of Indonesia.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 105L of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that the provisions of Chapter VIIA of the said Code shall apply without any condition, exception or qualification in relation to the Republic of Indonesia with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F.No.12015/1/2015-PP-III/IC-III]

GOPAL KRISHNA DWIVEDI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.